

संघ प्रदेश दादरानगर हवेली और दमण एवं दीव प्रशासन,
U.T. ADMINISTRATION DADRANAGAR HAVEL AND OF DAMAN & DIU
सहायक मत्स्योद्योग अधीक्षक कार्यालय,
ASSISTANT SUPERINTENDENT OF FISHERIES,
मत्स्योद्योग विभाग, दीव
FISHERIES DEPARTMENT, DIU

सं० एसएफडी / 58(4)MIRA/2025-26/209

दिनांक - 23/07/2025

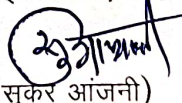
सार्वजनिक सूचना

दीव जिले के सभी फिशिंग बोट, फाईबर (IBM & OBM) नाव और बीन यांत्रिक नाव (टेन्डीया/Canoe) के मालिकों को फिर एक बार सूचित किया जाता है की सचिव (मत्स्योद्योग), दमण एवं दीव से प्राप्त दिनांक 02/7/2012 का आदेश सं० एसएफडी/3/32(U.C.C)/2012-13/299 के अनुसंधान में सभी फिशिंग बोट, फाईबर नाव एवं बीन यांत्रिक नावों को युनिफॉम कलर कोडिंग (Uniform Color Coding for Registered Fishing Vessels of Daman & Diu) किया जाना है।

इसलिए, दमण एवं दीव जिले के सभी पंजीकृत मत्स्य फिशिंग बोट, फाईबर, एवं बीन यांत्रिक नाव को पिछले सालों की तरह युनिफॉम कलर कोडिंग किया जाना है जिसका विवरण निम्नलिखित है।

1. On Fishing Vessel- (a) फिशिंग बोट के उपर के तल (Upper side wooden Deck & Plank): इन्क ब्लू (Ink Blue Color) (b) नीचे के तल (Lower wooden Plank): लेमन पीला (Lemon Yellow Color)
2. On Fishing Vessel Cabin- (a) केबिन की उपर की चपरी (Upper Top with Roof) : इन्क ब्लू (Ink Blue) (b) नीचे की चपरी (Lower slanting Roof): लेमन पीला (Lemon Yellow) (c) Support/wooden stand (i) घाई के उपर हाफ (Upper Half): इन्क ब्लू (Ink Blue) (ii) नीचे हाफ (Lower Half): लेमन पीला (Lemon Yellow)
3. On Vessels Mast- (a) सभी स्तंभ (को) उपर (Tip of all Masts) : लेमन पीला (Lemon Yellow)
4. सभी मुढीया (On wooden Hood & Anchor Polls(All): लेमन पीला (Lemon Yellow)
5. फिशिंग बोट के दोनो साइड एवं केबिन के उपर काले रंग के ब्रेकग्राउन्ड में सफेद रंग से बोट का नाम एवं रजि. नंबर 6 inch की साईज से ज्यादा लिखना होगा और फिशिंग बोट के दोनो साइड नाम एवं रजि. नंबर के उपर तिरंगा (Tricolour) पेइन्ट करवाना होगा एवं फिशिंग बोट के स्तंभ (को) पर तिरंगा ध्वज (Tricolour flag) सबसे उपर लगाना होगा।

उपरोक्त सूचना का सख्ती से पालन किया जाए एवं आगामी फिशिंग सिजन से पहले उपरोक्त बताए गए युनिफॉम कलर कोडिंग फिशिंग बोट में किये जाना अति-आवश्यक है। साथ ही यह कार्यालय द्वारा फिशिंग लाइसेंस जारी करते वक्त फिशिंग बोट की जांच करने पर युनिफॉम कलर कोडिंग होना आवश्यक है और फिशिंग बोट में सुरक्षा के साधन i.e. जीपीएस, वायरलेस, ट्रान्सपोंडर, अग्निशामक (Fire Extinguisher-foam type), लाईफ जेकेट्स, लाईफ रींग बोयस, टोर्च, आदि रखना आवश्यक है। अन्यथा यह कार्यालय से फिशिंग लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा। साथ ही फिशिंग के दौरान तटवर्ती सुरक्षा एजेंन्सी एवं अन्य सरकारी एजेंन्सी द्वारा जांच के दौरान युनिफॉम कलर कोडिंग एवं तिरंगा ध्वज (Tricolour flag) और फिशिंग बोट में सुरक्षा के साधन नहीं पाने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।


(सुकर आंजनी)
सहायक मत्स्योद्योग अधीक्षक,
दीव

सेवा में,

1. सरपंच, विलेज पंचायत, वनाकबारा, साउदवाडी, बुचरवाडा, जोलावाडी }
2. अध्यक्ष, दीव जिले के सभी मत्स्य सहकारी मंडली } सूचनार्थ एवं
3. अध्यक्ष, दीव जिला मछुआरा संघ, वनाकबारा } अधिकतम प्रचार-प्रसार
4. अध्यक्ष, मछुआरा संघ, वनाकबारा, साउदवाडी, बुचरवाडा, घोघला, दीव } हेतु प्रेषित है।
5. 'दीवसागर' मोबाईल ऐप द्वारा सभी फिशिंग बोट मालिकों } प्रसारित हेतु।

प्रतिलिपि प्रेषित -

1. माननीय समाहर्ता, समाहर्तालय, दीव } जानकारी हेतु।
2. पुलिस अधीक्षक, पुलिस विभाग, दीव } जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
3. निदेशक दव उप सचिव (मत्स्योद्योग), दमण }
4. कोस्टल पुलिस, वनाकबारा एवं, दीव }